(178)

ज्ञापांक 1553 /परि.

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय,बिहार,पटना।

पटना। दिनांक– 16.12.19

सेवा मे,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– **निलामी सूचना संख्या–01/2019–2020 के प्रकाशन के संबंध में।**

––––––0––––––

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि पुलिस परिवहन मुख्यालय,पटना के वाहनों से निकले बेकाम टायर, टयूब स्पेयर पार्टर्स स्क्रैप, 210 लीटर का खाली ड्रम एवं अन्य समानों की निलामी हेतु दिनांक–03.01.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में पुलिस परिवहन मुख्यालय ,पटना (H.Q.R.T), नवीन पुलिस केन्द्र परिसर, लोदीपुर, पटना में निर्धारित की गई है। निलामी सूचना प्रकाशन हेतु पॉच प्रतियॉ (सी0डी0) सहित संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतएव अनुरोध है कि निलामी संबंधी सूचना प्रमुख दैनिक सामाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोपरि।

16/12

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण),
बिहार, पटना

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ । सी0डी0 संलग्न हैं ।

अनुलग्नक :– यथोपरि ।

16/12

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण),
बिहार, पटना

(177)

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

निलामी सूचना संख्या–01/2019–20

पुलिस परिवहन मुख्यालय, पटना के वाहनों से निकले बेकाम टायर, ट्यूब स्पेयर पाटर्स स्क्रैप, 210 लीटर का खाली ड्रम एवं अन्य समानों की निलामी दिनांक–03.01.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में पुलिस परिवहन मुख्यालय (H.Q.R.T)., नवीन पुलिस केन्द्र परिसर, लोदीपुर, पटना में की जाएगी। निलामी डाक आरम्भ होने के पूर्व में भाग लेने वाले इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को रूपये–10,000/–(दस हजार रूपये) मात्र बैंक ड्राफ्ट पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना (A.I.G.(W), Bihar, Patna) के नाम से जमा करना होगा। किसी भी प्रकार का गिल्ड/गिरोह का समूह बनाकर भाग लेने वाले के विरूद्व कानुनी कार्रवाई की जायेगी। पुलिस विभाग का कोई कर्मी या उसका परिवार इस निलामी में भाग नहीं लेगा। निलामी समाप्त होने के बाद असफल डाक बोलने वाले बीडरों को ड्राफ्ट तुरंत वापस कर दिया जायगा। उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को निलामी के पश्चात् उसी समय उक्त समान के मूल्य की आधी राशि जमा करने होगें। शेष राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा अन्यथा जमा राशि जप्त करते हुए निलामी की कार्रवाई रद्द कर दी जायगी। निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशि जमा कर समान की डिलेवरी नहीं लेते है, तो उनके द्वारा जमा की गई पूरी राशि जप्त कर ली जायेगी।

अद्योहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित है कि सरकारी हित में किसी भी डाक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निलामी की कार्रवाई संशोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

16/12

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण),
बिहार, पटना।